जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी जिला कन्नौज,उत्तर प्रदेष

वाहन अनुबंध हेतु निविदा प्रपत्र सत्र 2017–2018

निविदा षुल्क रू. 500 / –   धरोहर धनराषि रू. 10000 / –

फर्म का नाम व पूरा पता	
टैक्सी कोटा पंजीकरण संख्या	
धरोहर राषि ड्राफ्ट संख्या, दिनांक एवं राषि तथा जारी करने वाले बैक का नाम	
फर्म की बैंक का नाम एवं ब्रांच का नाम तथा पता	
फर्म का खाता संख्या	
IFSC Code	
खाते का प्रकारः बचत / चालू खाता	

रजिस्ट्रेषन नं0ः–..वाहन की निर्माता कं0...............................वाहन निर्माण की तिथि एवं वर्ष..........................माडल का नाम....................................अनुमोदित सवारी की संख्या. ....भार ढोने की क्षमता..............................

मै अपना वाहन संख्या..जिसका रोड माइलेज.(डीजल प्रति ली0)................ .... कि.मी. प्रति लीटर है, आपके विद्यालय में रूपये................(रूपये.................................. ....) मासिक दर पर विद्यालय से संबद्ध करने को तैयार हूॅ मैंने संलग्न

प्रपत्र की 01 से 25 तक एवं निम्नलिखित 01 से 18 तक नियम एवं शर्तो का विधिवत अध्ययन कर लिया है जो कि पूर्णतया मुझे स्वीकार हैं

निविदा दाता के हस्ताक्षर......................
नाम...
पता...
दूरभाश नं0..
दिनांकः–...

<u>वाहन अनुबंध हेतु नियम एवं शर्ते</u>

<u>सत्र 2017–2018</u>

जवाहर नवोदय विद्यालय, कन्नौज उ0प्र0 को टैक्सी कोटे के अंतर्गत हल्के डीजल वाहन संविदा ठेके पर 2 वर्ष के लिये (प्रतिवर्ष 2 माह की ग्रीष्मावकाष छोडकर) वाहन धारकों से निविदा आमत्रिंत की जाती है।

इच्छुक निविदादाता को निम्नलिखित नियमावली को स्वीकारना होगा–

1. वाहन में 4 व्यक्तियों के बैठने की एवं 01 व्यक्ति के लेटने व 10 कुन्टल भार उठाने की क्षमता होनी चाहिये।

2. वाहन चालक के साथ वाहन का अनुबंध केवल 02 वर्ष (ग्रीष्मावकाष को छोडकर) 24 घंटे के आधार पर होगा। वाहन स्वामी द्वारा अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने पर वाहन, चालक सहित तथा वाहन संबंधी समस्त मूल कागजात विद्यालय में उपलब्ध करवाना होगा।

3. वाहन उत्तर प्रदेष परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होनी चाहिये।

4. वाहन का परमिट उत्तर प्रदेष का होना चाहिये।

5. विद्यालय द्वारा चली गयी दूरी के हिसाब से निर्धारित माईलेज अनुसार डीजल दिया जाएगाा तथा पंचर और टायर मे हवा भरवाने का पैसा दिया जाएगा। वाहन स्वामी को इंजन ऑयल एवं लुब्रकेन्टस,पूर्ण मरम्मत एवं रख–रखाव संबंधी व्यय स्वयं के खर्चे पर वहन करना होगा।

6. गाडी का भाडा एक वर्ष में केवल 10 माह के हिसाब से देय होगाा तथा इसका भुगतान मासिक आधार पर होगा।

7. वाहन स्वामी के किराये की राषि के बिल से टी.डी.एस.,आयकर नियमानुसार प्रतिमाह काटा जायेगा

8. गाडी के रख–रखाव/सर्विसिंग के लिये वाहन स्वामी को एक दिन हेतु वाहन दिया जाएगा तथा वर्ष में 10 दिनों का अधिकतम समय। 01 दिन से अधिक समय लगने पर वाहन मालिक को संबद्ध वाहन के अनुरूप अन्य वाहन अतिरिक्त समय के लिये उपलब्ध कराना होगा अन्यथा न्यूनतम रू. 900/– प्रतिदिन अथवा वास्तविक खर्च जो भी होगा वह वाहन स्वामी द्वारा विद्यालय में जमा करना होगा, व्यय हुई धनराषि न जमा करने पर वांछिंत राषि फर्म द्वारा जमा की गई धरोहर राषि से काट ली जाएगी।

10. वाहन का मॉडल अप्रैल 2015 या इसके बाद का होना चाहिये।

11. वाहन स्वामी के दायित्व पर अनुबंधित वाहन विद्यालय प्रांगण में 24 घण्टे उपस्थित रहेगी।

12. अनुबन्धकर्ता को रूपये 10,000/– का ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय,अनौगी, कन्नौज के नाम एवं स्टेट बैंक आफॅ इंडिया, गुरसहायगंज पर देय होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

13. स्वीकृत वाहन अनुबन्धकर्ता एवं प्राचार्य विद्यालय के मध्य 10रू के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरा जाएगा।

14. अनुबन्धकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि विद्यालय को वाहन की सेवायें नियमित रूप से प्राप्त होती रहें,यदि विद्यालय को किसी भी प्रकार की बाधा होती है तो इसका पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। विद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वाहन स्वामी द्वारा यदि वाहन संबंधी सेवायें नियमानुसार नही प्रदान की जाती है तो धरोहर राषि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।

15. निविदा प्रपत्र के साथ वाहन संबंधी समस्त कागजात जैसे परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेषन, बीमा, टैक्सी परमिट इत्यादि मूलरूप में जमा करने होगें जिनको की वाहन अनुबन्ध समाप्त होने के पष्चात, वाहन को सर्विस/मरम्मत हेतु ले जाते समय (वाहन संबंधी कागजो के आदान–प्रदान की

पावती विद्यालय वाहन चालक एवं वाहन स्वामी,दोनो पक्षों को एक–दूसरे को देय आवष्यक होगा) प्रपत्र वाहन स्वामी को दिए जायेंगें।

16. वाहन अनुबधिंत होने के उपरान्त मोटर वाहन एक्ट संबंधी वाद,बीमा वाद

(दुर्घटना,चोरी,आग आदि संबंधी वाद) अथवा वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के सरकारी/निजी कंपनी के ऋण संबंधी वाद से विद्यालय का कोई लेना–देना नही होगा,पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

17. विद्यालय की क्रय सलाहकार समिति का निर्णय सभी को मान्य होगा।

18. चालक की रहने की व्यवस्था निःषुल्क होगी परन्तु भोजन व्यय का शुल्क बिल से काटा जाएगा।

प्राचार्या
जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज।

उर्पयुक्त लिखित समस्त शर्ते अधोहस्ताक्षरी को मान्य हैः–

वचन पत्र

एतद्द्वारा मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विद्यालय द्वारा दी गयी संलग्न निविदा षर्तें क्रमांक 01 से 25 तक एवं उपर्युक्त 1 से 18 तक पढ़ लिया है तथा उनसे सहमत हूँ तथा नियम एवं षर्तों पर हस्ताक्षर किया हुआ प्रपत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ। यदि किसी भी समय मेरे द्वारा निविदा षर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह निविदा निरस्त कर दे तथा मेरी धरोहर राषि जब्त कर लें। निविदा में लिखे गये पते पर मेरा प्रतिष्ठान है तथा मै उस वस्तु के व्यापार में संलग्न हॅू जिसकी निविदा मेरे द्वारा भरी जा रही है।

दिनांक .... निविदादाता के हस्ताक्षर.........................

नाम..

पता ....

मोबाइल न0 01...........................